भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/124/2021/एफ0सी0/1288 दिनांकः 20/12/2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : जनपद – उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्यालीसौड के अंतर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से पुजारगांव भडेश्वर मंदिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4385 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (online no. FP/UK/Road/40975/2019)

सन्दर्भः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–1349/FP/UK/Road/40975/2019 दिनांक 30-11-2021

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेः–

1. राज्य सरकार द्वारा आनलाईन पोर्टल पर पार्ट–1 में अपलोड किये गये सभी दस्तावेज सही तरीके से scanned नहीं है। अतः राज्य सरकार के अनुरोध है कि सभी दस्तावेजो की original प्रति सही प्रकार से scan कर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. राज्य सरकार द्वारा अपलोड की गयी के0एम0एल0 फाईल से प्रतीत होता है कि ग्राम पूर्व में ही मार्ग से जुड़ा हुआ है । अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करनें का कष्ट करें।
3. उपलब्ध समस्त road network को के0एम0एल0 पर दर्शित नहीं किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपलब्ध समस्त road network को के0एम0एल0 पर दर्शा कर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. प्रस्ताव के आवलोकन उपरान्त यह प्रतीत होता है कि alternatives का भी उचित परीक्षण नहीं किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि alternatives का भी उचित परीक्षण कर पूर्ण जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें।

उपरोक्त त्रृटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)